भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3182

7 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

दिल्ली में स्वच्छता अवसंरचना

†3182. **श्री प्रवीन खंडेलवालः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दिल्ली के सदर बाजार और फतेहपुरी जैसे क्षेत्रों में कार्यात्मक सार्वजनिक शौचालयों और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की भारी कमी की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिए कोई शहरी स्वच्छता उन्नयन योजना प्रस्तावित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्वच्छता अवसंरचना के नियमित रखरखाव और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्ति का हस्तांतरण किया गया है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, क्रियान्वित करना और संचालित करना राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर नियमावली/प्रक्रिया मानक (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तकनीकों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्श और दिशानिर्देश जारी करता है।

भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत की थी। एसबीएम-यू के

अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर निधियां जारी करती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) के चरण । के अंतर्गत, सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) घटक के अंतर्गत 5.15 करोड़ के संपूर्ण मिशन आवंटन का दावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा किया गया था। जीएनसीटीडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 11,138 सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) के मिशन लक्ष्य के मुकाबले कुल 28,256 सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएस-यू) 2.0 के अंतर्गत, जीएनसीटीडी को शौचालय निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

*****